न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :—श्री नेमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 348/2025

जीसीएमएस नं. :— 2025/454

बनाम

प्रार्थीगण :—	अप्रार्थीगण :—
श्री सदीक खां पुत्र उमर खां जाति सिन्धी मुसलमान निवासी बोयल तहसील पीपाड़ शहर	तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री दीपक दवे—प्रार्थी की ओर से
तहसीलदारपीपाड़ शहर— अप्रार्थी

दर्ज दिनांक :—04/09/2025

निर्णय

दिनांक : 08/12/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम बोयल पटवार हल्का बोयल भू—अभि.नि. पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 क्षेत्रफल 2.7868 हैक्टेयर खसरा नम्बर 236 क्षेत्रफल 0.0498 हैक्टेयर कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 2.8366 हैक्टेयर भूमि आई हुई है सबूत में नकल जमाबन्दी संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त आराजी का फोतेदगी म्युटेशन स्वीकृत करते समय प्रार्थी का घर में बोल चाल का नाम सईदखा पुत्र उमरखा इन्द्राज कर दिया वर्तमान में उक्त भूमि में सईदखा पुत्र उमरखा इन्द्राज है। जिसको दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम सदीक खां पुत्र उमरखा इन्द्राज करने हेतु उक्त रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य सभी सरकारी दस्तावेजों में प्राथी का नाम सदीक खां पुत्र उमर खां दर्ज है तथा इसके अलावा प्रार्थी राजस्व रेकर्ड की अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 747 व पुराना 750 में प्रार्थी का सही नाम सदीकखां पुत्र उमर खां दर्ज है। इसलिए वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर प्रार्थी का सही नाम इन्द्राज किया जावें। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर ग्राम बोयल पटवार हल्का बोयल भू—अभि नि पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 क्षेत्रफल 2.7868 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 236 क्षेत्रफल 0.0498 हैक्टेयर कुल खसरा 02 कुल क्षेत्रफल 2.8366 हैक्टेयर भूमि का रेकर्ड दुरूस्त फरमाते हुए सईदखां पुत्र उमरखां के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम सदीक खां पुत्र उमर खां इन्द्राज करने हेतु आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम बोयल पटवार हल्का बोयल भू–अभि नि पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 व खसरा नम्बर 236 में प्रार्थी का नाम सईदखां पुत्र उमरखां के स्थान सदीक खां पुत्र उमर खां राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की अनुशंषा की है।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए ग्राम बोयल पटवार हल्का बोयल भू–अभि नि पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 व खसरा नम्बर 236 में प्रार्थी का नाम सईदखां पुत्र उमरखां के स्थान सदीक खां पुत्र उमर खां राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बोयल पटवार हल्का बोयल भू–अभि नि पीपाड़ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 235 व खसरा नम्बर 236 में प्रार्थी का नाम सईदखां पुत्र उमरखां के स्थान सदीक खां पुत्र उमर खां दुरूस्त कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 08/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर